निष्कर्ष

ये निष्कर्ष विभिन्न बस्तियों के रहवासियों और प्रासंगिक विभागों के प्रतिनिधियों के साथ जाँच टीम की बातचीत के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारियों, देखे गए दस्तावेज़ों और उनके अपने अवलोकनों पर आधारित हैं।

राज्य एजेंसियों, खासकर के पुलिस, का व्यवहार लोगों के संवैधानिक और अन्य अधिकारों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। साथ ही यह अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ों यानी गैर–भेदभाव, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शारीरिक/मानसिक हिंसा से सुरक्षा, जीने के पर्याप्त मानक, शिक्षा का अधिकार, मूल निवासी होने का अधिकार, जिसका भारत साझेदार है, का भी उल्लंघन है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों के अधिकारों पर समझौता–पत्र की धारा 37, जिसे भारत सरकार ने 11 दिसम्बर 1992 को स्वीकार किया था, कहती है, ''किसी भी बच्चे के साथ यातना या अन्य प्रकार का क्रूर व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा या सज़ा नहीं दी जाएगी'' और ''किसी भी बच्चे को उसकी अपनी आज़ादी से अवैध या मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।''

1. पुलिस अत्याचार और उत्पीड़न

बच्चों और बड़ों ने खासकर बच्चों, लड़कियों और लड़कों दोनों पर पुलिस उत्पीड़न की एक के बाद एक कई घटनाएँ स्पष्ट रूप से बताईं। दौरा की गई बस्तियों में बमुश्किल ऐसा कोई परिवार रहा होगा जिसने पुलिस के द्वारा अत्याचार या उत्पीड़न का सामना नहीं किया था। पुलिस के अवैध या अनुपयुक्त व्यवहार के कारण लोगों की स्थिति बिगड़ रही है और वे लगातार तनाव और आतंक के साये में रह रहे हैं।

अवैध रूप से हिरासत में रखना एक आम बात है। पुलिस बस्ती के लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बेतरतीब ढंग से उठाकर पुलिस थाने ले जाती है, वहाँ पर यातनाएँ देती है और सिर्फ उनकी रुपयों की माँग पूरी होने पर ही उन्हें छोड़ती है। पुलिस आधी रात में, कभी–कभी नशे की हालत में भी, घरों में घुस जाती है और घर के लोगों को उठा ले जाती है। लड़कियों और लड़कों, उनमें से कुछ बमुश्किल 6 साल के होते हैं, के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है।

उठाए गए लोगों को कई घंटों तक, कभी–कभी कई दिनों तक, पुलिस थाने में रखा जाता है – उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं और न ही उन्हें मजिस्ट्रेट या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए बिना लोगों को पुलिस हिरासत में रखना संविधान की धारा 22 (2), जो एक मौलिक अधिकार है, का पूरी तरह से उल्लंघन है। धारा 22 (2) कहती है कि, ''गिरफ्तार किए गए या हिरासत में रखे गए हरेक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।'' धारा 22 (2) का सख्ती से पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार की न्यायिक जाँच को सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार हुई है या नहीं। उठाए गए लोगों को जानबूझकर मजिस्ट्रेट या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया जाता है क्योंकि उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं होता है। उन्हें ''इस प्रकार की गिरफ्तारी के कारणों'' के बारे में भी नहीं बताया जाता है, इस प्रकार धारा 22 (1) के तहत उनके मौलिक अधिकार को नकारा जाता है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखे गए लोगों को मुआवज़ा दिया है। अवैध हिरासत संविधान की धारा 21 का भी उल्लंघन करती है, ''किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं किया जाएगा'' – ऐसा कोई भी लागू कानून नहीं है जो इस प्रकार की हिरासत की अनुमति देता हो।

जब बस्तीवालों ने इस प्रकार की अवैध हिरासत को चुनौती देने के लिए कोर्ट जाने की ताकत जुटाई तो पुलिस द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जैसा **पी** के साथ किया गया था।

बस्तीवालों, खासकर बच्चों, को पुलिस द्वारा कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, मसलन बिजली के झटके देना, उल्टा लटकाकर पीटना, डंडे से मारना, पिन चुभाना। हिरासत में यातना देना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है और मानव गरिमा के लिए एक अपमान है। राज्य एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले अपने अधिकारियों के लिए ज़िम्मेदार है। यह देखा गया है कि नियमित रूप से ज़्यादा हिंसा होने के कारण लोगों के बीच हिंसा का एक मानकीकरण हो गया है – पुलिस द्वारा थप्पड़ मारने को हिंसा मानते ही नहीं हैं।

हालाँकि यह बात बार–बार नहीं कही गई, फिर भी जाँच दल को प्रत्यक्ष यौन हिंसा की कुछ घटनाओं का पता चला। जैसे, गुदा में लोहे का छड़ डालना, औरतों की छाती को छूना, रिहाई के बदले में सेक्स की माँग करना आदि। यौनिक गली–गलौच तो बहुत आम हैं।

सामान्य टिप्पणी नं. 13 (2011), बाल अधिकारों पर समिति के द्वारा तैयार किया गया *हिंसा के सभी रूपों से मुक्त रहने का बच्चों का अधिकार* कहता है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करना राज्य का कर्तव्य हैः ''बच्चों के खिलाफ हिंसा की व्यापक घटनाओं को संबोधित करना और उन्हें दूर करना संविधान के तहत राज्यों का एक दायित्व है।'' यह पुलिसवालों को

राज्य के एक कार्यकर्ता और पुलिस थानों को एक ऐसी जगह के रूप में पहचानता है जहाँ बच्चों को हिंसा का सामना करना होता है।

यातना रोकने के लिए बच्चे उन अपराधों को कबूल लेते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं हैं, और इस प्रकार एक आपराधिक मामले को हल कर लिया जाता है! सामान्य टिप्पणी नं. 13 कहती है कि ''अवैध या अवांछित व्यवहारों के लिए बच्चों को न्यायिक रूप से सज़ा देने के लिए उन अपराधों को कबूल कराने के उद्देश्य से बच्चों के खिलाफ'' हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है।

पश्चिम बंगाल बनाम डी. के. बसु में सुप्रीम कोर्ट कहता है, ''हवालात में यातना व मौत सहित हिरासती हिंसा कानूनी शासन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। होना यह चाहिए कि कानून से न केवल कार्यकारी शक्तियाँ मिलें बल्कि कानून द्वारा उन्हें सीमित भी किया जाना चाहिए। हिरासत में हिंसा चिंता का विषय है। यह तथ्य इसे और संगीन बना देता है कि यह उन लोगों द्वारा की जाती है जिनसे नागरिकों के संरक्षक होने की अपेक्षा की जाती है। इसे वर्दी की आड़ में और पुलिस थाने या हवालात की चहारदीवारी की रोब में किया जाता है, इस वजह से पीड़ित पूरी तरह से असहाय हो जाता है। पुलिस और कानूनों को लागू करने वाले अन्य अफसरों की यातना और शोषण से एक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक मुक्त समाज में गहरी चिंता का विषय है।''

जबरन वसूली की माँग से संतुष्ट न होने पर उठाए गए लोगों पर कई आपराधिक मामले थोप देना एक आम बात है। पुलिस द्वारा बहुत ज़्यादा जबरन वसूली की माँग की जाती है। परिवार के सदस्य उसे कम कराने की जद्दोजेहद करते हैं और फिर उनकी माँगों को पूरा करने के लिए पैसे उधार लेते हैं।

हवालात में शौचालयों की सफाई कराना, फर्श की झाड़–बुहार कराना, पुलिस वाहनों की धुलाई कराना जैसे काम बच्चों से कराए जाते हैं। ये इस वाएदे पर कराए जाते हैं कि अगर वे ये काम करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें सिर्फ पुलिस की आर्थिक माँगों के पूरा होने पर ही छोड़ा जाता है।

सामान्य टिप्पणी नं. 13 प्रभावी उपायों के लिए प्रयास करती है ''जिनमें पीड़ितों के लिए मुआवज़ा और निवारण तंत्र व अपील के लिए स्वतंत्र शिकायत तंत्र तक पहुँच शामिल हैं।''

जाँच टीम का मानना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष कई अभिवेदन करने के बावजूद स्थिति बदली नहीं है और मानवाधिकारों का ये उल्लंघन बेरोकटोक जारी है।

पुलिस भी बस्ती में रहने वालों की शिकायतों के प्रति उदासीन है जैसा **एफ** के कथन में दिखाई देता है। **एफ** की लापता बेटियों को ढूँढने के लिए पुलिस द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए। तीन साल बाद लड़कियों का पता लग पाया लेकिन पुलिस की वजह से नहीं।

पुलिस के हाथों नियमित रूप से उत्पीड़न होने के कारण बस्तीवाले विवादों के मामलों में उन तक पहुँचने से डरते हैं और समुदाय के भीतर ही हल ढूँढने को मजबूर होते हैं। जाति पंचायतों, जिनके पास समुदाय जाता है, के उत्पीड़न से बचने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि इन पंचायतों में श्रेणीबद्ध पितृसत्तात्मक मूल्य मजबूती से कायम हैं।

लोकतांत्रिक संस्थानों से संपर्क करने पर वे भी उचित प्रतिक्रिया करने में नाकाम रहे हैं। केवल संगठित गहन कोशिश ही इस प्रकार की स्थापित प्रचलित परंपराओं को बदल सकती है।

2. अधिसूचित जनजाति और पारधी समुदाय के खिलाफ पूर्वाग्रह

दौरा की गई कई बस्तियों में पारधी आबादी की एक बड़ी संख्या थी। ईरानी समुदाय एक घुमन्तु जनजाति है। जाँच टीम ने अमन कॉलोनी में बसे ईरानी समुदाय के लोगों से बातचीत की।

1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के निरस्त हो जाने के बावजूद पारधियों को ''अपराधियों'' के रूप में बदनाम करना आज़ाद भारत में भी जारी है। इस तरह से बदनाम करके पारधियों को अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। पारधियों का सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशानी पैदा करने वाले और पुलिसवालों द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक हस्तक्षेप में बाधा पहुँचाने वालों के रूप में देखा जाता है।

ऐतिहासिक रूप से अधिसूचित जनजातियों, घुमन्तु और पारधी समुदायों को उनकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति आदि के कारण बदनामी का सामना करना पड़ा क्योंकि इससे प्रमुख ब्राहमणवादी संस्कृति को ठेस पहुँचती थी। पारधी भारत की मूल आबादी का हिस्सा थे। इस सांस्कृतिक बदनामी के आपराधिक बदनामी में तब्दील हो जाने की वजह से ये लोग लगातार पुलिस और आम समाज के निशाने में रहते हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बावजूद वे रोज़गार प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं, इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि पढ़ाई से कुछ हल नहीं होने वाला है। उनमें से कई खुदरा धंधे में लगे हैं जबकि अन्य परिवार अपनी आजीविका के लिए कचरा बीनने के काम पर निर्भर हैं।

इस आपराधिक बदनामी की वजह से पारधियों को शक की निगाहों से देखा जाता है और रोज़मर्रा के काम – समोसा खरीदना, बाज़ार जाना, सार्वजनिक पार्कों में खेलना – के दौरान पुलिस द्वारा सताया जाता है। सार्वजनिक अपमान तो हर रोज़ का ही है। एक पारधी की पहचान पर पुलिस मौखिक रूप से उसके और उसके समुदाय के साथ दुव्यर्वहार करती है, ''तुम पारधी लोग चोरी करते हो।''

मध्यम वर्गीय कॉलोनियों के रहवासी अपने घरों के आसपास पारधियों को देख लेने पर पुलिस में शिकायत कर देते हैं। कई बस्तीवालों ने इस तरह के रहवासियों के द्वारा मारपीट या नज़रबंद किए जाने की बात की है। पुलिस की बेरुखी इस प्रकार की अति सतर्कता को बढ़ावा देती है।

ये जुल्म पारधी समुदाय के लोगों को हाशिए पर रहने के लिए मजबूर करते हैं, दूसरे लोगों से घुलने–मिलने की बजाय वे अपने लोगों के साथ रहना पसन्द करते हैं, इस कारण से विभाजन और बढ़ता जा रहा है। उनकी बस्तियों के लिए, जैसा कि उनके लिए भी होता है, गंदी बस्ती जैसे अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

बच्चों समेत बड़े लोगों पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को कई सम्बंधित अधिकारियों की नज़र में लाया गया है – पुलिस महानिदेशक (भोपाल), पुलिस महानिरीक्षक (भोपाल), टी टी नगर पुलिस थाना प्रभारी, मध्य प्रदेश महिला आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग – फिर भी उत्पीड़न बेरोकटोक जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस को लगता है कि वे जो चाहते हैं वैसा लगातार करते रह सकते हैं और उससे बचे रह सकते हैं क्योंकि किसी को भी पारधियों की परवाह नहीं है और ऐसी ही धारणा समाज में भी फैली हुई है।

उपरोक्त को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती कि गांधी नगर के रहवासियों का मानना है कि ''व्यवस्था उनके पूरे समुदाय को एक दुश्मन के रूप में देखती है।''

(3) आपराधिकरण का माहौल

सरकार जानबूझकर की गई कूटरचना के चलते पारधी जैसे कुछ समुदाय के सदस्यों के आपराधिकरण को जारी रखने की दोषी है और ऐसी कई गतिविधियों को भी आपराधिक बनाती है जो उनके अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं, जैसे कचरा–रद्दी बीनना। इसी की नकल करते हुए सिविल सोसायटी भी, आज वो जैसी भी है, सरकार के इस रवैये को प्रतिबिंबित करती है।

एक ओर तो सरकार लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति करने में असफल रही है, वहीं दूसरी ओर, जब लोग किसी प्रकार से जीवनयापन की कोशिश करते हैं, तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। जिन बस्तियों का दौरा किया गया वहाँ के कुछ लोग छोटे–मोटे धंधे, जैसे चश्मे बेचना, अर्ध–कीमती रत्न वगैरह बेचना, करके आजीविका कमाते हैं, वहीं अधिकांश लोग कचरा बीनने और रद्दी इकट्ठी करने का काम करते हैं। जो लोग कचरा बीनने जाते हैं, वे सुबह–सुबह जब काम पर निकलते हैं, उसी समय यह आरोप लगाकर पुलिस उन्हें उठा लेती है कि वे चोरी करने निकले थे। यह उनसे पैसे ऐंठने का एक बहाना है। जो थोड़ा–बहुत पैसा वे कचरा बीनकर कमाते हैं वह और उसके अलावा काफी सारा पैसा इन लोगों को पुलिस हिरासत से छुड़वाने में पुलिस को चला जाता है ताकि वे लोग अगले दिन कचरा बीनने जा सकें और अपने परिवार का पेट भर सकें। इससे कई लोगों को लाभ पहुँचता है और वे तत्काल भारी ब्याज पर कर्ज दे देते हैं ताकि लोगों को लंबे समय तक कर्ज के शिकंजे में फँसाया जा सके।

इस हताशाजनक ज़िंदगी ने वयस्कों को शराब के नशे में धकेला है और 7–7 साल की उम्र तक के बच्चे गुटका खाने लगे हैं, जो उनकी नकारात्मक छवि का निर्माण करता है कि पारधी तो शराब और नशीली दवाइयों के आदी हैं।

पुलिस द्वारा लोगों का ऐसा आपराधिकरण जानबूझकर इरादतन किया जाता है। इससे उन्हें लोगों की कमज़ोरी का फायदा उठाकर पैसा ऐंठने और/या उन्हें दबाकर रखने में मदद मिलती है।

(4) बच्चों को किशोर न्याय प्रणाली की सुरक्षा से वंचित रखा

किशोर कानून का खुले आम उल्लंघन होता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व सुरक्षा) अधिनियम 2000 के तहत सारे बच्चों, यानी उन सारे व्यक्तियों जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो, जिन पर किसी अपराध का आरोप है, उन्हें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना चाहिए [अनुच्छेद 10 (1)]। उपरोक्त बयानों से पता चलता है कि पुलिस बच्चों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाती है जहाँ उन्हें गैर–कानूनी ढंग से कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हिरासत में रखा जाता है जो किशोर कानून का घोर उल्लंघन है। इन बच्चों के खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता, न ही उन्हें किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है। अंततः जब उनके अभिभावक पुलिस की पैसे की माँग पूरी कर देते हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है।

पुलिस हिरासत में बच्चों को यातनाएँ दी जाती हैं और उन्हें किसी अपराध/अपराधों को 'कबूल' करने को मजबूर कर दिया जाता है। विभिन्न पुलिस थानों द्वारा बच्चों पर तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाकर मामले दर्ज कर लिए जाते हैं। तीन पुलिस थानों ने **ए** की हिरासत ले ली थी और उस पर चौदह मामले ठोंक दिए गए थे।

बच्चे को पकड़ने के समय से किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व सुरक्षा) कानून 2000 का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर है कि हर पुलिस थाने में किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त हो। मैदानी हकीकत यह है कि अधिकांश मामलों में ऐसे अधिकारियों में 'माद्दा' नहीं है और न ही उपरोक्त कानून के अनुच्छेद 63 के प्रावधान के अनुसार उनका 'उपयुक्त प्रशिक्षण' या 'उन्मुखीकरण' हुआ है। थाने पर किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी पूरी तरह अन्य पुलिस कर्मियों के सुर में सुर मिलाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चों के अधिकारों की बलि चढ़ाई जाती है।

किशोर न्याय बोर्ड ने जाँच दल को सूचित किया कि मेडिकल जाँच से पता चला था कि पुलिस थाने में बच्चे के साथ मारपीट की गई थी मगर बोर्ड ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। यह ज़िम्मेदारी बोर्ड की है कि वह बच्चों में विश्वास पैदा करने के प्रयास करे और एक ऐसा माहौल पैदा करे जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस करें ताकि वे पुलिस द्वारा की गई बदसलूकी के बारे में बता सकें।

जिन बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, उन्हें पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, जबकि इस बात के दस्तावेज़ी प्रमाण मौजूद होते हैं कि वे किशोरवय के

हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र। पुलिस हिरासत में या जेल में कुछ समय बिताने के बाद ही उन्हें किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में लाया जाता है, जैसा कि **ए** के साथ हुआ था। **एमएमएम** तो न्यायिक हिरासत में रजस्वला हुई थी, जिससे साफ है कि उसकी कम उम्र साफ नज़र आ रही होगी, मगर जब तक मुस्कान ने हस्तक्षेप नहीं किया, वह जेल में पड़ी रही।

प्रायः माता–पिता/अभिभावकों को इस बात की सूचना नहीं दी जाती है कि उनके बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया है या उन्हें निरीक्षण गृह में रखा गया है। उदाहरण के लिए, **एल** की माँ ने बयान दिया है कि वह अपनी बच्ची को खोजते हुए पुलिस थाने से पुलिस थाने तक भटकती रही, तब जाकर उसे अपनी बच्ची एक पुलिस थाने में मिली। इसके बाद **एल** को निरीक्षण गृह में भेज दिया गया, मगर इसकी सूचना उसके माता–पिता को अट्ठारह दिन बाद दी गई। यह किशोर न्याय (देखरेख व सुरक्षा) कानून 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। कानून के अनुच्छेद 13 (ख) [पालकों, अभिभावकों या परिवीक्षा अधिकारी को सूचना] में कहा गया है कि थाना प्रभारी "किशोर के पालकों या अभिभावकों, यदि उन्हें खोजा सके, को इस गिरफ्तारी की सूचना देगा और उन्हें निर्देश देगा कि वे उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों, जहाँ किशोर को पेश किया जाएगा।"

(5) किशोर न्याय प्रणाली का दुरुपयोग व उसके प्रभाव

किशोर न्याय (देखरेख व सुरक्षा) कानून 2000 (2006 में संशोधित रूप में) एक सामाजिक–लाभकारी कानून है। इस कानून के प्रावधानों की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए कि उससे बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा मिले न कि उनकी क्षति हो।

जैसे कि ऊपर बताया गया, पुलिस बच्चों को समय–समय पर पकड़ती रहती है, उन्हें थाने में बैठाती है और तब तक यातनाएँ देती हैं, जब तक कि पैसे की माँग पूरी न कर दी जाए या उन पर आपराधिक मामले न थोप दिए जाएँ।

पुलिस द्वारा बच्चों को उनके पालकों से अलग करके बाल कल्याण समिति के समक्ष सिर्फ इसलिए पेश किया गया है क्योंकि वे कचरा बीनते हैं। अपने परिवार में वापिस पहुँचने से पहले इन बच्चों ने कई–कई दिन बाल गृह में बिताए हैं। **एफ** का बयान काफी चिंताजनक है क्योंकि इससे पता चलता है कि पुलिस, बाल कल्याण समिति और वह आवासीय संस्था जहाँ उसकी बच्चियों को रखा गया था, तीन साल तक बच्चों के माता–पिता को खोजने में नाकाम रहे! इससे पता चलता है कि व्यवस्था कितनी निर्मम है, खास तौर से बस्ती के बाशिंदों के लिए।

ऐसा सलूक किशोर कानून के विरुद्ध है और इसका मतलब यह निकलता है कि गरीबी और दुर्बलता को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की नृशंसता और बदसलूकी से निपटने के बच्चों के अपने विविध तरीके हैं, जैसा कि उनके बयानों में झलकता है – घटना का विवरण देते हुए कुछ बच्चे रो पड़े, कुछ हंस रहे थे, कुछ चमकती आँखों के साथ उत्तेजित होकर बात कर रहे

थे – जाँच दल के सदस्यों के मन में कोई संदेह नहीं है कि पुलिस नृशंसता/अत्याचार ने हर उस बच्चे की मानसिकता को आहत किया है जिसने उसका सामना किया।

बच्चों को ऐसे समय पर पकड़ना जब वे अपना सामान्य कामकाज कर रहे हों, कथित रूप से किसी अपराध या भीख माँगने के लिए, बच्चों में डर और असुरक्षा के बीज बो देता है। **डीडी** से जब जाँच दल ने पहली बार बात करने की कोशिश की तो वह रो पड़ा। जब पुलिस बच्चों के पास आती है, तो बच्चे डरकर भाग जाते हैं, जिसके लिए उन्हें पकड़ा और पीटा जाता है।

बच्चे कचरा बीनने या अपने परिवार की अत्यंत कम आमदनी में थोड़ा योगदान देने हेतु काम पर जाते हैं क्योंकि अपनी सामुदायिक स्थिति के कारण वयस्कों को काम नहीं मिलता। अवसरों तक पहुँच का आश्वासन देने की बजाय पुलिस इन बच्चों को परिवार से पृथक कर देती है, और उनके साथ ऐसे बच्चों के रूप में सलूक किया जाता है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत है। इसके बाद पालक/अभिभावक अपने बच्चों को वापिस पाने के लिए यहाँ–वहाँ भागते फिरते हैं जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी।

बाल सुरक्षा से सम्बंधित सरकारी संस्थाएँ यह स्वीकार नहीं करतीं कि गरीबी में जी रहे माता–पिता भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अक्सर यह मान लिया जाता है कि माता–पिता अपराधों में लिप्त होते हैं और अपने बच्चों का इस्तेमाल आपराधिक कार्यों में या पैसा कमाने के लिए करते हैं। लिहाज़ा यह कहा जाता है वे माता–पिता होने के लायक नहीं हैं। सरकारी संस्थाएँ यह देख पाने में नाकाम रहती हैं कि गरीबी में सीमित विकल्पों और अवसरों के साथ जीने का एक अलग व व्यापक यथार्थ है जो मध्यम वर्ग से भिन्न है।

जो भी थोड़ी–बहुत आमदनी होती है वह बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों को पुलिस के शिकंजे से छुड़ाने में खर्च हो जाती है, जो उनकी गरीबी को और बढ़ा देता है। अक्सर ऐसे कार्यों के लिए परिवार को पैसा उधार लेना पड़ता है और वे कर्ज़ में दबते जाते हैं।

(6) विशेष किशोर पुलिस इकाई की मिलीभगत

किशोर न्याय (देखरेख व सुरक्षा) कानून 2000 के तहत भोपाल में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन बच्चों से सम्बंधित मामलों को सही परिप्रेक्ष्य में संभालने के उद्देश्य से किया गया था। इसे पुलिस व एक गैर–सरकारी संगठन के कर्मी मिलकर चलाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश करने से पहले तक एक सुरक्षित वातावरण में रखा जाए।

पुलिस हिंसा के बारे में बच्चों की शिकायतों के चलते, यह चिंताजनक है कि इस इकाई द्वारा बच्चों को देर शाम/रात या जल्दी सुबह भी उसी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है (यह जानते हुए भी कि किशोर न्याय बोर्ड ऐसे समय पर काम नहीं कर रही होती)। इसी तरह मेडिकल जाँच के लिए बच्चों को पुलिसवालों के भरोसे छोड़ देना भी समस्याजनक है। ऐसे में मेडिकल रपट के वस्तुनिष्ठ या पक्षपातरहित होने पर भरेसा नहीं किया जा सकता।

विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्यालय में पुलिस द्वारा राजीव नगर के दो बच्चों की पिटाई से पता चलता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्मित व्यवस्था को तंत्र ने अपने में समाहित कर लिया है और वह अपनी निर्धारित भूमिका को नहीं निभा पा रही है। न सिर्फ पुलिस को विशेष किशोर पुलिस इकाई के संरक्षण में रखे गए बच्चों तक पहुँचने दिया गया बल्कि इकाई के लोगों ने पुलिस द्वारा पिटाई को रोकने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया और न ही इस घटना की सूचना उच्चतर पुलिस अधिकारियों को दी। पिटाई की शिकायत के बाद भी इकाई ने घटना की आगे छानबीन भी नहीं की। नतीजतन इस भयानक घटना को दबा दिया गया।

एक खास किस्म के जोखिम से बच्चों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। परन्तु जाँच से यह बात सामने आई कि पुलिस के दुर्व्यवहार को सही ठहराने या उसके तर्क ढूँढने की एक प्रवृत्ति सी बन गई है। टकराव–रहित अस्तित्व को बनाए रखने की खातिर व्यवस्था के अन्दर काम करने वाली एजेंसियाँ व लोग उसमें मौजूद प्रभुत्ववादी सोच का हिस्सा बन जाते हैं।

एक ओर यह ज़रूरी है कि विभाग अपने को समीक्षा के लिए खोले और उसके साथ काम कर रही संस्थाओं और एजेंसियों पर दबाव डालने की बजाय उन्हें एक दर्पण की तरह समझे, जिससे ज़मीनी स्थितियों में सुधार आ सके। दूसरी और यह भी अनिवार्य है कि व्यवस्था के अन्दर रहकर बच्चों के हित में काम कर रही संस्थाएँ पुलिस ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएँ, व्यवस्था की अवैधानिक गतिविधियों का साथ न दें।

(7) सरकारी उपेक्षाः अपर्याप्त अधोरचना और सुविधाओं का अभाव

संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन का अधिकार सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वह लोगों के लिए जीवन की बुनियादी ज़रूरतें मुहैया करवाए। फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम प्रशासक, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत "मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार के साथ–साथ वह सब कुछ शामिल है जो उसके लिए ज़रूरी है, अर्थात् पर्याप्त पोषण, वस्त्र और आश्रय, तथा पढ़ने, लिखने और विविध रूपों में स्वयं को व्यक्त करने जैसी जीवन की ज़रूरतें...।" शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम खिमलाल तोतामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "किसी भी सभ्य समाज में जीवन के अधिकार की गारंटी होती है। इस (अधिकार) के अंतर्गत भोजन का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार और रहने के लिए एक ठीक–ठाक आवास शामिल हैं। आवास के संदर्भ में किसी जानवर की ज़रूरत और मनुष्य की ज़रूरत के बीच फर्क को ध्यान में रखना होगा। जानवर के लिए यह मात्र शरीर की रक्षा से सम्बंधित है; मनुष्य के लिए यह एक उपयुक्त आवास होना चाहिए जो उसे हर तरह से विकसित होने की गुंजाइश दे – शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। संविधान का उद्देश्य हर बच्चे के लिए संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। वह तभी संभव होगा जब बच्चा एक उपयुक्त घर में हो।" चमेली सिंह बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "किसी भी सभ्य समाज में जीवन के अधिकार का आशय भोजन के

अधिकार, अच्छा पर्यावरण, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और आवास से है। ये बुनियादी मानव ज़रूरतें हैं जो किसी भी सभ्य समाज को पता हैं। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र, संधियों और भारत के संविधान में वर्णित सारे नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार इन बुनियादी मानव अधिकारों के बगैर अधूरे हैं।"

सामान्य टीप क्रमांक 4, समुचित आवास का अधिकार में कहा गया है, "समुचित आवास के अंतर्गत भू–सम्पत्ति के अधिकार (tenure) की कानूनी सुरक्षा, ["समस्त व्यक्तियों को भोग अधिकार की सुरक्षा हासिल होनी चाहिए जो ज़बरन विस्थापन, परेशान किए जाने और अन्य भयों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करे"], सेवाओं की उपलब्धता, सामग्री, सुविधाएँ और अधोसंरचना ["स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य कुछ सुविधाएँ...सुरक्षित पेयजल...प्रकाश व्यवस्था, शौच व्यवस्था...जल निकास व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएँ अवश्य हों"], स्थिति ["स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों... तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं तक पहुँच"]।

जाँच दल का मत है कि जिन बस्तियों का दौरा किया गया वहाँ के बाशिंदे संविधान में प्रदत्त जीवन के अधिकार से वंचित हैं क्योंकि उन्हें समुचित आवास, बुनियादी सुविधाएँ और मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार से वंचित रखा गया है। इन अधिकारों से इन्कार करना राज्य तथा उसकी संस्थाओं द्वारा मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन के बराबर है।

बस्ती तक सुगम पहुँच के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई सड़कें नहीं बनाई गई हैं। निकास व्यवस्था के अभाव में लोगों को अपने घर तक पहुँचने के लिए पानी और कीचड़ में से होकर जाना पड़ता है, खास तौर से बरसात के मौसम में हालत बहुत बुरी होती है जिसके चलते हालात अस्वास्थ्यकर बन जाते हैं।

नल कनेक्शन लगभग नदारद हैं। बस्ती के लोगों को अपनी ज़रूरत का पानी खरीदना पड़ता है – या तो टैंकरों से या उन लोगों से जिनके पास पानी का स्रोत है। कुछ बस्तियों में घरों में बिजली कनेक्शन दिए गए हैं मगर अधिकांश घरों में मीटरयुक्त कनेक्शन नहीं हैं।

बहुत ही थोड़े से घरों में शौच व्यवस्था है और न ही बस्ती में सामूहिक शौचालय बनाए गए हैं। लिहाज़ा बस्तीवासियों, महिलाओं और बच्चों समेत, को बस्ती के आसपास खुली जगहों पर शौच के लिए जाना पड़ता है। इसकी वजह से कई बार आसपास की मध्यमवर्गीय कॉलोनियों के लोगों से झगड़े भी हो जाते हैं।

गाँधी नगर को छोड़कर सारी बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव नज़र आया। गाँधी नगर में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ दिन के समय सुविधाएँ मिलती हैं। अतः लोगों के पास स्वास्थ्य सम्बंधी ज़रूरतों के लिए प्रायवेट डॉक्टरों के पास या क्लीनिकों में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। बस्तीवासियों ने जाँच दल से शिकायत की है कि जब पुलिस पिटाई के कारण हुई चोटों के लिए उन्होंने सरकारी अस्पताल में इलाज माँगा तो उन्होंने पुलिस की अनुपस्थिति में इलाज करने से मना कर दिया था।

बच्चे जीवनयापन के वास्ते कचरा बीनने जाते हैं। अधिकांश बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए हैं या स्कूल छोड़ चुके हैं। **एए** ने जाँच दल को बताया कि उसने कर्ज़ चुकाने में अपनी माँ की मदद करने के लिए स्कूल छोड़कर कचरा बीनना शुरू किया था। वह कर्ज़ पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की वजह से लिया गया था। **एलएल** ने भी पुलिस के डर से ही स्कूल छोड़ा था।

स्कूल जाने वाले बच्चों के पालक, जिनकी संख्या बहुत कम है, चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में दाखिला लें मगर ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि स्कूल उनकी बस्ती से दूर है। इसलिए बच्चों को निकट के किसी प्रायवेट स्कूल में डाल दिया जाता है। बंजारी बस्ती के बाशिंदों ने बताया कि उनके बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता। गंगा नगर के लोगों ने प्रायवेट स्कूल के शिक्षकों की शिकायत की कि वे पढ़ाने की बजाय सोते रहते हैं या शॉपिंग करने चले जाते हैं।

हालाँकि बस्ती के निवासी वहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं मगर उनके पास कानूनी पट्टे की कोई सुरक्षा नहीं है और वे हमेशा ज़बरन हटाए जाने को लेकर डरे रहते हैं। जिन लोगों को ज़मीन के पट्टे मिल गए हैं उन्हें भी मकान तोड़े जाने का डर सताता है, जैसा कि गंगा नगर में हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रायवेट बिल्डर्स (डेवलपर्स) वे ज़मीनें हड़पने की फिराक में रहते हैं जहाँ ये बस्तियाँ बसी हुई हैं। लगातार दो वर्षों तक बंजारा बस्ती को जलाया गया और बगैर किसी सूचना के तोड़–फोड़ दस्ता बस्ती में पहुँच गया और निवासियों को ज़बरन खदेड़ने की कोशिश की। असुरक्षा को और बढ़ाते हुए, बस्ती के लोगों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति पहचान पत्र जैसे कोई पहचान दस्तावेज़ नहीं दिए गए हैं। भारत में सारी हकदारियाँ/सुरक्षाएँ – शिक्षा संस्थानों में दाखिला, नौकरी समेत – इन दस्तावेज़ों पर आश्रित हैं। इन दस्तावेज़ों के अभाव में बस्तीवासी नुकसान की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे दस्तावेज़ हों तो सुरक्षा का एक एहसास बनता है।

(8) बच्चों और हाशिए के समुदायों के प्रति सरकार की नाकामी

उनके उत्पीड़न की वजह यह नहीं कि वे लोग क्या करते हैं बल्कि यह है कि वे कौन हैं (विमुक्त यानी डीनोटिफाइड जनजाति, घूमंतु जनजाति, गरीब, या बेघर वगैरह)। यकीनन यह बच्चे के लिए कोई स्वस्थ माहौल नहीं है। और इस स्थिति के निर्माण के लिए राज्य ही पूरी तरह जवाबदेह है।

इस स्थिति को बेहतर बनाने की बजाय राज्य की मशीनरी अपनी मिलीभगत या निष्क्रियता के चलते इसे और बदतर बना रही है। इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अभाव में सिविल सोसायटी को इस शोचनीय परिस्थिति को जारी रखने का हौसला मिलता है।

सिफारिशें

1. राज्य सरकार और सम्बंधित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पारधी और अन्य हाशियाकृत समुदाय अपने संवैधानिक, (विधिक) प्रक्रियागत और अन्य अधिकारों के साथ जी सकें, और उन अधिकारों के साथ भी जो अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर तय मानवाधिकारों के तहत दिए जाते हैं।

2. यह ज़रूरी है कि पुलिसवालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू हो और उसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाए। इससे पुलिस ज़्यादतियों को रोकने में मदद मिल सकती है और साथ ही समाज में यह संदेश जाएगा कि कचरा बीनने वाले, पारधी समुदाय और अन्य हाशियाकृत लोगों के भी वही अधिकार हैं जो बाकी सबके हैं। और यह कि व्यवस्था ऐसा न मानने वालों के साथ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करती है।

3. जब भी किसी हिंसा या प्रताड़ना या अवैध रूप से पकड़े या बन्द किए जाने की घटना या फिर पुलिस थाने के अन्दर या बाहर पैसे माँगे जाने की शिकायत सामने आए, तो त्वरित रूप से सम्बंधित पुलिसवाले के खिलाफ प्राथमिकी (एफ.आइ.आर.) दर्ज की जानी चाहिए।

   i) उपरोक्त की शिकायत सामने आए, तो सम्बंधित पुलिसवाले के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

   ii) विभागीय कार्रवाई के चलते सम्बंधित पुलिसवाले को सेवा से निलंबित किया जाना चाहिए।

4. 14 अप्रैल 2015 को विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) कार्यालय में क्राइम ब्रांच से जुड़े पुलिसकर्मियों द्वारा दो बालकों की पिटाई के मामले में तत्काल एक वरिष्ठ पुलिस अफसर के तत्वावधान में जाँच शुरू की जाए।

5. पुलिस के हाथों हिंसा/प्रताड़ना या अवैध हिरासत या ज़बरन पैसा उगाही के शिकार लोगों को म.प्र. सरकार को मुआवज़ा देना चाहिए।

6. सम्बंधित प्राधिकरणों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि (1) पारधी और अन्य विमुक्त जातियों के बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, (2) किसी अपराध के आरोपी किसी भी बच्चे के साथ किसी प्रकार की हिंसा न होने पाए, (3) शहर में होने वाली आपराधिक घटनाओं के लिए हाशिए पर जीने वाले लोगों और उनके बच्चों को गलत तरीके से फँसाया न जाए, (4) पुलिस लोगों से पैसों की उगाही न करे, (5) अगर इस बात का समुचित शक है कि कोई अपराध किया गया है, तो न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए – चाहे आरोपी जो भी हो।

7. राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल पर कम से कम एक पाँच–सदस्यीय समिति का गठन होना चाहिए जो पुलिस थानों की यकायक जाँच करके यह पता लगाए कि वहाँ कोई

किशोर या वयस्क अवैध रूप से तो नहीं बन्द है। इस समिति में अकादमिक लोग, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य के पेशेवर लोग, पत्रकार और समाज कल्याण के कामों से जुड़े अन्य लोग हो सकते हैं।

8. पुलिस कमिश्नर हरेक पुलिस थाने को एक सरकुलर के जरिए सूचित करे कि पुलिसवाले कचरा बीनने वालों, पारधी समुदाय और दूसरे वंचित समुदाय के लोगों को परेशान करना बन्द करें, अन्यथा उन पर विभागीय जाँच की जाएगी।

9. पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह आम समाज में एक तगड़ा संदेश फैलाए कि कचरा बीनने वाले, पारधी समुदाय के लोग और दूसरे वंचित समुदाय के लोग इस देश के बराबर के नागरिक हैं और उनकी सामाजिक–आर्थिक दर्जे के कारण उनके साथ मारपीट, गाली–गलौच, रोक–टोक या सार्वजनिक सुविधाओं से उन्हें वंचित करने जैसे कृत्यों से उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर एफ.आइ.आर. समेत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

10. बच्चों के सर्वोत्तम हित में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000 का, उसके 2006 में संशोधित रूप में सही अर्थों में पालन किया जाना चाहिए।

11. किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति को ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि कानून से संघर्ष वाले किशोर या देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चे खुलकर यह बता सकें कि पुलिस से उन्हें कैसा सुलूक मिला है। पुलिस ज़्यादतियों की सूचना मिलने पर किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति को अपनी ओर से सुओ–मोटो जाँच और सतत फॉलेअप करना चाहिए।

12. यह ज़रूरी नहीं कि वंचित और हाशिए पर जी रहे समुदाय के बच्चे "देखभाल की ज़रूरत वाले बच्चे" हों और "रेस्क्यू कार्रवाई" के दौरान उन्हें उनके परिवार से अलग किया जाए। ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी को चाहिए कि वे ऐसे बच्चों के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा स्कीमों से जोड़कर उनको और उस बच्चे को एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर सकें।

13. ज़िला बाल सुरक्षा इकाई (डी.सी.पी.यू.) को इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए। डी.सी.पी.यू. के अध्यक्ष होने के नाते जिलाधीश (कलेक्टर) को इन मामलों की स्वयं छानबीन करनी चाहिए और यह आदेश जारी करने चाहिए कि एफ.आई.आर. दर्ज हो सकें।

14. एक पूर्णकालिक ज़िला बाल सुरक्षा अधिकारी (डी.सी.पी.ओ.) की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वह बाल सुरक्षा के कामों पर ध्यान केन्द्रित कर सके। डी.सी.पी.ओ. को कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं सौंपा जाना चाहिए, न ही किसी अधिकारी को अतिरिक्त ज़िम्मेदारी के तौर पर डी.सी.पी.ओ. बनाया जाना चाहिए।

15. महिला एवं बाल कल्याण विभाग, म.प्र. शासन को अन्य अकादमिकों, गैर–सरकारी संगठनों और बच्चों के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के साथ मिलकर पुलिस थाने में पदस्थ किशोर या बाल सुरक्षा अधिकारी के काम, फोकस, भूमिका और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करना चाहिए।

16. पारधियों और अन्य विमुक्त जाति के लोगों के प्रति पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड, बाल सुरक्षा समितियों और आम समाज के नज़रिए और व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सभी सम्बंधित विभागों (मंत्रालयों) को कदम उठाने चाहिए। इसके लिए और साथ ही राज्य में रहने वाले विमुक्त जाति के समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए म.प्र. सरकार को अकादमिकों, गैर–सरकारी संगठनों और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनानी चाहिए।

17. पुलिस की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलावों की सख्त ज़रूरत है – खासकर वंचित और निस्सहाय समुदायों के संदर्भ में। म.प्र. पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की पाठ्यचर्या में मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों, सार्वजनिक स्वतंत्रता और भेदभाव को पैदा करने वाले सामाजिक–आर्थिक पूर्वाग्रहों के बारे में एक मॉड्यूल होना चाहिए। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) अधिनियम 2000, उसके सिद्धान्त, बाल मनोविकास और बाल विकास को पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

18. सरकारी अमले और आम समाज में यह चेतना लाया जाना चाहिए कि कचरा बीनना आपराधिक गतिविधि नहीं है, अपितु यह ज़िन्दा रहने और जीवनयापन करने के लिए किया जाने वाला काम है और रीसायक्लिंग में प्रमुख योगदान देता है।

19. म.प्र. सरकार और दूसरे सरकारी एजेंसियों को चाहिए कि वे बस्तियों को मूल सुविधाएँ (जैसे पाइपों से पानी की सप्लाई, बिजली के कनेक्शन, नाली–निकास की व्यवस्था, आदि) मुहैया कराए ताकि उनके विधिक रहवास की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

20. कानून से संघर्ष की स्थिति वाले बच्चों या किशोरों के संदर्भ में उनके बारे में जानकारी की पारदर्शिता और उसको साझा करने की बहुत आवश्यकता है। इसमें उनको गिरफ्तार किए जाने, एफ.आई.आर. दर्ज करने, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित केस या उनके द्वारा निपटाए गए मामले आदि शामिल हों। यह ज़रूरी है कि ऐसी सब जानकारी एक जगह संग्रहित हो और उसे माँगने वालों को उपलब्ध कराई जाए। यह भी आवश्यक है कि यह जानकारी सम्बंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (जैसे किशोर न्याय सी.आई.डी. इन–चार्ज) के साथ साझा की जाए और इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाए ताकि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, २००० के अंश[1]

अध्याय 2

विधि विवादित किशोर

10. विधि विवादित किशोर की गिरफ्तारी – 1(1) जैसे ही कोई विधि विवादित किशोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, वह विशेष किशोर पुलिस इकाई या अभिहित पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा जो किशोर को समय गवाए बिना गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा में लगाए गए समय को छोड़कर चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा। विधि विवादित किशोर किसी भी दशा में पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम के –

1. उन व्यक्तियों के लिये व्यवस्था करने हेतु जिनके द्वारा (जिसमें रजिस्ट्रीकृत स्वयंसेवी संगठन भी सम्मिलित हैं) विधि विवादित कोई किशोर बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकता है।
2. उस रीति की व्यवस्था करने हेतु जिससे ऐसे किशोर को किसी संप्रेक्षण गृह में भेजा जा सकता है।

11. किशोर पर अभिरक्षण का नियंत्रण – ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भार के अधीन इस अधिनियम के अनुसरण में किसी किशोर को रखा गया है, उसी तरह उस किशोर पर आदेश के प्रवर्तन की अवधि तक नियंत्रण रखेगा जिस तरह वह रखता यदि वह उसका माता–पिता होता और वह उसके भरण–पोषण का ज़िम्मेदार होगा और किशोर उसके भार के अधीन उस अवधि तक निरंतर बना रहेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित किया गया हो चाहे भले ही उसके माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पर दावा किया गया हो।

13.माता–पिता, संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को सूचना – जहाँ किसी किशोर को गिरफ्तार किया गया है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अथवा विशेष किशोर पुलिस यूनिट जिसके समक्ष उस किशोर को लाया गया है गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र –

(क) किशोर के माता–पिता या संरक्षक को, यदि उन्हें पाया जा सकता है, ऐसी गिरफ्तारी की सूचना देंगे और उन्हें बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिये निर्दिष्ट करेंगे, जिसके समक्ष किशोर को हाज़िर किया जायेगा, और

(ख) ऐसी गिरफ्तारी की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को देंगे ताकि वह किशोर के पूर्व वृतान्त और पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य तात्विक परिस्थितियों को प्राप्त कर सके जिनसे बोर्ड को जाँच करने में सहायता मिल सके।

---

[1] जयदेव बांगिया, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय नियम, 2007 साथ में म. प्र. किशोर न्याय नियम, 2003, प्रकाशक – सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. द्वारा प्रकाशित

23. किशोर अथवा बालक के प्रति क्रूरता के लिये दण्ड – जो कोई भी, किसी किशोर या बालक का वास्तविक भार या उस पर नियंत्रण रखते हुए किशोर पर प्रहार करता है, उसका परित्याग करता है, खुला छोड़ देता है या जानबूझ कर उसकी उपेक्षा करता है या उस पर प्रहार करना, उसका परित्याग किया जाना, खुला छोड़ दिया जाना या ऐसी किसी रीति से उसकी उपेक्षा करना कारित या उपाप्त करवाता है जो कि उस किशोर या बालक को संभाव्यतः अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा कारित कर सकता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छः महीनों तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

26. किशोर अथवा बालक कर्मचारी का शोषण – जो कोई किसी किशोर या बालक को किसी परिसंकट मय नियोजन के प्रयोजन के लिये दृश्यतः उपाप्त करता है उसे वर्धित अवस्था में रखता है और उसके उपार्जनों को रोक रखता है या ऐसे उपार्जनों का अपने स्वंय के प्रयोजनों के लिये उपयोग करता है वह ऐसी अवधि के कारवास से दण्डनीय होगा जो तीन वर्षो तक की हो सकती है और जुर्माने से भी दायी होगा।

27. विशेष अपराध – धारा 23, 24, 25, और 26 में दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे।

28. जहाँ कोई कार्य अथवा लोप इस अधिनियम के अधीन और किसी अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन भी दण्डनीय अपराध का निर्माण करता है वहाँ तत्समय प्रवत किसी अवधि में समाविष्ट किसी बात के होते हुये भी ऐसे अपराधों का दोषी पाये जाने वाला अपराधी केवल ऐसे अधिनियम के अधीन दण्ड के लिये दायी होगा जो कि ऐसे दण्ड का उपबंध करता है जो कि मात्रा में अधिक है।

किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, २००७

महिला एंव बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्र. सा.का.नि 679 (अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 – चूंकि विधान के अनेक उपबंधों, जैसे कि अनुच्छेद 15 के खंड (3), अनुच्छेद 21क, अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2), अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 39 के खंड (ड) और (च), अनुच्छेद 39क, अनुच्छेद 45, 47 और 51क (ट) में बच्चों की सभी ज़रूरतों की पूर्ति तथा उनके मूलभूत अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने का प्रमुख दायित्व राज्य पर अधिरोपित किया गया है –

और चूंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 नवम्बर, 1989 को अंगीकृत तथा भारत द्वारा 11 दिसम्बर, 1992 को अनुसमर्थित बालक अधिकार कन्वेशन में बच्चों को अधिकार दिए जाने तथा जीवन रक्षा, विकास, संरक्षण व भागीदारी के उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किशोरों के समाज में पुनर्समेकन तथा असुरक्षित बच्चों की देखरेख और संरक्षण पर बल दिया गया है;

और चूंकि किशोर न्याय कार्यान्वयन संबंधी संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1985 (बीजिंग नियम) तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण संबंधी संयुक्त राष्ट्र नियम (1990) में वह न्यूनतम मानक

निर्धारित किया गया है, जिनका अनुपालन कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में किशोर न्याय कार्यान्वयन के क्षेत्र में किया जाना है;

और चूंकि किशोर न्याय कार्यन्वयन संबंधी संयुक्त राष्ट्र दिशा–निर्देशों (रियाद दिशा–निर्देशों) एवं अन्य सभी प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों में किशोर अपचारिता के निवारण पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा इस प्रयोजनार्थ दिशा–निर्देश भी दर्शाए गए है;

और चूंकि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 (2006 का 33) के द्वारा यथा–संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) संविधान एवं संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रपत्रों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया तथा इस अधिनियम का उद्देश्य कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों तथा देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों की समुचित देखभाल, संरक्षण व विकासात्मक ज़रूरतों की पूर्ति द्वारा अच्छे व्यवहार की व्यवस्था करके तथा इन बच्चों के सर्वोत्तम हित में व उक्त अधिनियम में उल्लिखित संस्थागत एवं गैर–संस्थागत उपायों के माध्यम से इनके पूर्ण पुनर्वास और तत्संबंधी अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए इनके मुकदमों के न्याय निर्णयन और निपटान में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर ऐसे किशोरों व बच्चों से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करना था;

इसलिए, अब उक्त अधिनियम के उपबंधों के बेहतर एवं अक्षरशः कार्यान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार उपर्युक्त उपबंधों के अनुसरण में और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 68 की उप–धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे दर्शाए गए नियम बनाती है और किशोर न्याय के कार्यान्वयन पर लागू किए जाने वाले आधारभूत सिद्धांत निर्धारित करती है, जो इस प्रकार हैः–

अध्याय 2

किशोर न्याय एवं बालकों के संरक्षण के आधारभूत सिद्धांत

3. इन नियमों के प्रशासन में अनुपालित किए जाने वाले आधारभूत सिद्धांत – (1) जब इन नियमों के उपबंधो का कार्यान्वयन करते समय, यथास्थिति, राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति अथवा अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण या अभिकरण उपनियम (2) में निर्दिष्ट सिद्धांतों का अनुपालन करेगा और इनसे मार्गदर्शन ग्रहण करेंगे।

(2) निम्निलिखित सिद्धांत, अन्य बातों के साथ, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुप्रयोग, निर्वचन एवं कार्यान्वयन का आधार होंगे।

I. निर्दोषिता की उपधारा का सिद्धांत

(क) किसी किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने किसी किशोर को 18 वर्ष की आयु तक असद्भावपूर्वक या आपराधिक आशय रखने का दोषी नहीं मना जाएगा।

(ख) किशोरों या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के निर्दोषिता की उपधारणा के अधिकार को समस्त न्याय एवं संरक्षण प्रक्रिया के दौरान, बच्चे या किशोर से प्रथम सम्पर्क से लेकर वैकल्पिक देखभाल एवं पश्चात्वर्ती देखरेख तक, मान्यता दी जाएगी।

(ग) किसी किशोर अथवा बच्चे या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर जिसे वह जीवित रहने के लिए, या वातावरण या परिस्थितियों के कारणों से अथवा वयस्कों के नियंत्रणाधीन अथवा साथियों के दबाव में किए गए किसी विधि विरुद्ध आचरण को निर्दोषिता के सिद्धांतों के अंतर्गत शामिल किया जाए।

(घ) निर्दोषिता की उपधारण के सिद्धांत के मूलभूत घटक इस प्रकार हैं–

(प) निर्दोषिता की आयु – निर्दोषिता की आयु वह आयु होती है, जिससे कम आयु में किसी किशोर या बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक पर दाण्डिक न्याय प्रणाली लागू नहीं की जा सकती है। बीजिंग नियम 4 (1) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "मानसिक एवं बौद्धिक परिपक्वता के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक उत्तरदायित्व की प्रारम्भिक आयु के रूप में बहुत कम आयु निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।" इस सिद्धांत के अनुरूप विश्व भर में किसी किशोर या बालक अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की मानसिक एवं बौद्धिक परिपक्वता की आयु अठारह वर्ष से अधिक मानी जाती है।

(पप) निर्दोषिता के सिद्धांत का प्रक्रियात्मक संरक्षण – संविधान और अन्य संविधियों द्वारा वयस्कों को प्रत्याभूत किए गए सभी प्रक्रियात्मक रक्षोपाय और वे रक्षोपाय जो किशोर या बालक की निर्दोषिता की उपधारणा के अधिकार को बल प्रदान करते हैं, वे सभी रक्षोपाय किशोरों या बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को प्रत्याभूत होंगे।

(पपप) विधिक सहायता और वादार्थ संरक्षक के उपबंध – विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को यह अधिकार है कि उन पर लगाए गए आरोपों के विषय में उन्हें सूचित किया जाए तथा उन्हें विधिक रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्य के खर्च पर विधिक सेवा के माध्यम से वादार्थ संरक्षण, कानूनी सहायता और ऐसी अन्य कोई सहायता प्रदान करने के उपबंध किए जाएं। इन उपबंधों में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना मामला स्वंय प्रस्तुत करने का अधिकार किशोरो को दिए जाने का उपबंध भी शामिल किया जाएगा;

II. गरिमा और स्वाभिमान का सिद्धांत

(क) बालक की गरिमा एवं स्वाभिमान के भावों के अनुरूप व्यवहार किशोर न्याय का मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत वैश्विक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित इस मूल मानवाधिकार को दर्शाता है कि सभी मानव जन्म से स्वतंत्र होते है तथा गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से एक समान है। गरिमा के सम्मान के अंतर्गत किसी को अपमानित न किया जाना, व्यक्तिगत पहचान, सीमाओं एवं स्वतंत्रता को सम्मान दिया जाना भी है, किसी को कलंकित न किया जाए, सूचनाएं प्रदान की जाएं तथा उसके कार्यों के लिए दोषी न ठहराया जाए।

(ख) किसी किशोर या बालक के गरिमा एवं स्वाभिमान के अधिकार को उसके मामले से संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान, विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा बालक के साथ प्रथम सम्पर्क से लेकर उससे संबंधित सभी उपायों के कार्यान्वयन तक, पूर्ण सम्मान दिया जाएगा।

III. सुने जाने के अधिकार का सिद्धांत

किशोर न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक प्रक्रम पर उसके हितों को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर प्रत्येक

बालक के उसके स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। बालक को सुने जाने के अधिकार के अंतर्गत उसके विकासात्मक स्तर के अनुरूप उससे बात करने के लिए उपयुक्त साधनों एवं प्रक्रियों का सृजन, बालकों के अपने जीवन के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़वा दिया जाना तथा विचार विमार्श एवं वाद–विवाद के समुचित अवसर प्रदान करना भी शामिल हैं।

IV. सर्वोत्तम हित का सिद्धांत

(क) किशोर न्याय प्रशासन के संदर्भ में लिए जाने वाले सभी विनिश्चय में, मुख्यतया किशोर या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत होगा।

(ख) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत से अभिप्रेत है कि उदाहरणार्थ – दाण्डिक न्याय, दण्ड एवं निरोध के परम्परागत उद्देश्यों के स्थान पर किशोर न्याय के पुनर्वास एवं पुनरूद्धार के निश्चित उद्देश्य होने चाहिए।

(ग) प्रत्येक बालक की सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व सुनिश्चित करके बालक को जीवन जीने और अपनी पूर्ण क्षमतानुसार विकसित होने में सहायता करने के उद्देश्य से इस सिद्धांत के द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बालक का शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास सुनिश्चित किया गया है।

V. परिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

(क) बालकों का पालन–पोषण करने, उनकी देखरेख करने, उन्हें सहायता प्रदान करने एवं उनका संरक्षण करने का उत्तरदायित्व मुख्यतः उनके माता–पिता का होगा। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, यह उत्तरदायित्व इन बालकों को दत्तक के लिए इच्छुक अथवा पालक माता–पिता को सौंपा जा सकता है।

(ख) उस बालक के संबंध में लिए जाने वाले सभी निर्णयों में बालक के जन्मदाता परिवार को भागीदार बनाया जाना चाहिए, जब तक कि ऐसा किया जाना उस बच्चे के सर्वोत्तम हित में न हो।

(ग) जन्मदाता, दत्तक ग्रहण करने वाला या पालक (इसी क्रम में) परिवार बालक के लिए उत्तरदायी होगा तथा उक्त परिवार इस अधिनियम के अधीन किशोर या बालक को आवश्यक देखरेख, सहायता एवं संरक्षण प्रदान करेगा तथा अपनी देखरेख व अभिरक्षा में रखेगा, जब तक कि सर्वोत्तम हित का उपाय अथवा अन्यथा आदेश न दिया गया हो।

VI. सुरक्षा का सिद्धांत (किसी भी प्रकार की क्षति, शोषण, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार न हो)

(क) आरंभिक सम्पर्क से लेकर जितने समय तक वह देखरेख और संरक्षण प्रणाली के सभी उपक्रमों के सम्पर्क में रहता है और पश्चात् भी किशोर न्याय प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी प्रकार की क्षति, शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, शारिरिक दण्ड अथवा जेलों में एकान्त परिरोध अथवा अन्य किसी प्रकार के परिरोध के अधीन किशोर या बालक अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को उत्पीड़ित नहीं दिया जाएगा और किशोर या बालक के संवेदनशील मन को किसी भी प्रकार के आघात से बचाने के लिए उसकी पूरी देखरेख की जाएगी।

(ख) प्रत्येक बालक की देखरेख और संरक्षण के नाम पर किसी भी प्रकार के निबंधात्मक उपायों व

प्रक्रियाओं का सहारा लिए बिना उसकी देखरेख एवं संरक्षण में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का गुरुत्तर दायित्व राज्य का है।

VII. सकारात्मक उपाय

(क) सावधानीपूर्वक तैयार की गई वैयक्तिक देखरेख योजनाओं के माध्यम से किशोर या बालकों के कल्याण की अभिवृद्धि के उद्देश्य से परिवार, स्वंयसेवकों एवं अन्य सामुदायिक समूहों जैसे स्कूलों और मुख्यधारा की अन्य सामुदायिक संस्थाओं अथवा प्रक्रियाओं के रूप में सभी संभव संसाधन पूरी तरह जुटाने वाले सकारात्मक उपाय करने के लिए उपबंध किए जाने चाहिए।

(ख) सकारात्मक उपायों का उद्देश्य असुरक्षा को कम करना तथा विधि के अधीन अंतक्षेप की आवश्यकताओं को कम करना और किशोर अथवा बालकों के साथ प्रभावी, न्यायोचित एवं मानवीय व्यवहार करना है।

(ग) सकारात्मक उपायों में, स्वास्थ्य, शिक्षा, नातेदारी, आजीविका, सुविधाएं, सर्जनात्मकता एवं खेलकूद के अवसर भी शामिल है।

(घ) ऐसे सकारात्मक उपायों के द्वारा बालकों की पहचान विकसित होनी चाहिए तथा उन्हें विकास के लिए हर तरह का अनुकूल वातावरण प्राप्त होना चाहिए।

VIII. कलंकित न करने वाले शब्दों, निर्णय एवं कार्यवाही का सिद्धांत

अधिनियम के अनुसार, कलंकित न करने वाले शब्दों का अनिवार्यतः प्रयोग किया जाना चाहिए तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित कार्यवाहियों में जैसे, गिरफ्तार, रिमांड, आरोपी, आरोप–पत्र, विचारण, अभियोजन, वारण्ट, समन, दोषसिद्ध, अंतःवासी, अपचारी, उपेक्षित, अभिरक्षा या जेल जैसे प्रतिकूल अथवा अभियोगपरक शब्दों के प्रयोग का निषेध किया गया है।

IX. अधिकारों का अधित्यजन न किए जाने का सिद्धांत

(क) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर द्वारा स्वंय अथवा सक्षम प्राधिकारी या किशोर अथवा बालक की ओर से कार्यवाही में भाग ले रहे या दावा कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा उस किशोर या बालक के अधिकारों का अधित्यजन न तो अनुज्ञेय है और न ही विधिमान्य होगा।

(ख) किसी मौलिक अधिकार का प्रयोग किया जाना उस अधिकार का अधित्यजन नहीं है।

X. समता और अविभेद का सिद्धांत

(क) प्रत्येक बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर के साथ आयु, लिंग, जन्म, स्थान, विकलंगता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मूलवंश, जातीयता, धर्म, जाति, सांस्कृतिक परम्पराओं, कार्य, उस किशोर या बालक अथवा उसके माता–पिता या अभिभावकों के कार्यकलापों या व्यवहार अथवा किशोर या बालक की सामाजिक एवं राजनैतिक प्रतिष्ठा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को इस अधिनियम के अधीन पहुंच, अवसरों, व्यवहार की दृष्टि से समता का अधिकार दिया जाएगा।

XI. एकांतता एवं गोपनीय के अधिकार का सिद्धांत

कार्यवाहियों तथा देखरेख एवं संरक्षण प्रक्रिया के सभी चरणों के दौरान, सभी साधनों के द्वारा किशोर या बालक की एकांतता एवं गोपनीयता के अधिकार का संरक्षण किया जाएगा।

XII. अन्तिम विकल्प का सिद्धांत

किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को युक्तियुक्त जांच करने के पश्चात् अन्तिम विकल्प के रूप में ही किसी संस्था में भेजा जाएगा और वह भी न्यूनतम समयावधि के लिए।

XIII. प्रत्यावर्तन एवं पुनरुद्धार का सिद्धांत

(क) प्रत्येक बालक या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर का यह अधिकार है कि उसका अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन हो तथा उसे समान सामाजार्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर पुनः प्राप्त हो, जिसमें वह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र में आने या उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शोषण के पूर्व रह रहा था।

(ख) कोई बालक, जिसका अपने परिवार से सम्पर्क न रह गया हो, अधिनियम के अधीन संरक्षण का पात्र होगा तथा उसे यथाशीघ्र उसके परिवार में वापस पहुंचाया जाए, किन्तु ऐसा तब नहीं किया जाएगा जबकि ऐसा करना बच्चे या किशोर के सर्वोत्तम हित के विरुद्ध हो।

XIV. नव प्रारंभ का सिद्धांत

(क) नव प्रारंभ का सिद्धांत बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के पिछले अभिलेखों को समाप्त करना सुनिश्चित कर उसे नवजीवन शुरू करने के लिए बढ़ावा देता है।

(ख) राज्य अभिकथित या दाण्डिक विधि के टकराव के लिए पहचान किए गए बालकों पर किसी न्यायिक कार्यवाही का आश्रय लिए बिना अन्य कारण उपाय करेगा।

अध्याय ३

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर

11. पुलिस एवं अभिकरणों द्वारा पेशी के पूर्व एवं पश्चात् की जाने वाली कार्यवाही

(1) पुलिस अधिकारी, कानून के उल्लंघन के आरोपी किशोर को पकड़ते ही, इन सबको सूचित करेंगेः

(क) निकटतम पुलिस थाने के नामनिर्दिष्ट किशोर अथवा कल्याण अधिकारी को, ताकि वह इस मामले का प्रभार लें।

(ख) विधि के उल्लंघन के अभिकथित किशोर के माता–पिता या संरक्षक को उस किशोर के पकड़े जाने के साथ–साथ बोर्ड के पते, जहाँ किशोर को प्रस्तुत किया जाएगा, और उस तारीख एवं समय की सूचना देगा, जब माता–पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना हो;

(ग) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी, जिससे कि वह किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य पारिस्थितिक तथ्यों के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकें, जो कि बोर्ड के जांच करने में सहायक हो।

(2) किशोर के पकड़े जाने के तुरंत पश्चात् उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपा जाएगा तथा वह अधिकारी अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) अनुसार किशोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा और जहाँ अधिनियम की धारा (63) की उपधारा (2) में अभिकथित उपबंधों के अनुसार ऐसा कोई किशोर या बाल कल्याण अधिकारी नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो अथवा वह कुछ शासकीय कारणों से उपलब्ध न हो, तो वहां किशोर को पकड़ने वाले पुलिस अधिकारी ही उसे बोर्ड के समझ प्रस्तुत करेगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पकड़ने वाली पुलिस किसी भी दशा में उसे हवालात में नहीं भेजेगी या प्रभारी किशोर या बाल कल्याण अधिकारी को सौंपने में विलम्ब नहीं करेगी, यदि ऐसा कोई अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(4) किसी जिले में सभी नामनिर्दिष्ट किशोर या बाल कल्याण अधिकारियों एंव विशेष किशोर न्याय पुलिस ईकाई के सदस्यों की सूची, उनके सम्पर्क के ब्यौरे सहित प्रत्येक पुलिस थाने में प्रमुख रूप से दर्शाई जाएगी।

(5) पुलिस या पुलिस के पदधारी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में उपलब्ध सम्पूर्ण एवं तथ्यपरक सूचनाएं एकत्र करेंगे और किशोर के माता–पिता या संरक्षकों से सम्पर्क करेंगे और उन्हें विधि का उल्लंघन करने वाले उस किशोर के व्यवहार की जानकारी देंगे।

(6) पुलिस या प्रभावी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी प्रत्येक किशोर की केस डायरी में उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उसे जिन परिस्थितियों में पकड़ा गया, एवं अभिकथित अपराध के अभिलेख भी लेगा जिन्हें वह तत्काल बोर्ड को भेजेगा।

(7) पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी किशोर को पकड़ने की अपनी शाक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में करेंगे, जिनमें उस पर गम्भीर अपराधों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हों (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को 7 वर्ष से अधिक कारावास का दण्ड दिया जा सकता है)।

(8) ऐसे मामलों में, जहाँ ऐसा प्रतीत हो कि किशोर को पकड़ा जाना उसके हित में है, उन मामलों में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी संबंधित किशोर को देखरेख एवं संरक्षण की ज़रूरतमंद बालक मानते हुए उसको साथ व्यवहार करेंगे और उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करने के समय अपनी रिर्पोट में किशोर की देखरेख और संरक्षण की ज़रूरत दर्शाएंगे तथा बोर्ड से इन नियमों के नियम 13 (1)(ख) के अंतर्गत उपयुक्त आदेश पारित करने का अनुरोध करेंगे।

(9) जिन मामलों में अपराध गंभीर नहीं है, (जिन अपराधों के लिए वयस्कों को 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है) तथा जहाँ किशोर के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक नहीं है, उन सभी पुलिस प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी माता–पिता या संरक्षकों को सूचित करेंगे कि जो अपराध किए जाने के आरोप उनके बालक या प्रतिपाल्य द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की प्रकृति के बारे में लगाए गए हैं, उन अपराधों की प्रकृति तथा उस बालक की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि की सूचना बोर्ड को भेजी गई है, जिसे पश्चात्वर्ती सुनवाई के लिए किशोर को बुलाने की शाक्ति होगी।

(10) बोर्ड अपनी बैठकें आयोजित न करने की दशा में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिकथित उपबंधों के अनुसार बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(11) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले पर कार्यवाही करते समय पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी के लिए प्रथम इत्तिला रिर्पोट दर्ज करना अथवा आरोप–पत्र फाइल करना उपेक्षित नहीं होगा, सिवाया वहां, जहां किशोर द्वारा किसी गंभीर प्रकृति का अपराध किया जाना अभिकथित हो, जैसे बलात्कार, हत्या या जब ऐसे अपराधों में वयस्कों का साथ देना अभिकथित किया गया हो; बल्कि साधारण अपराधों के मामले में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी किशोर पर जो अपराध करना अभिकथित किया गया हो, उस अभिकथित अपराध की सूचना अपनी साधारण दैनिक डायरी में दर्ज करके किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं जिन परिस्थितियों में उसे पकड़ा गया, उन परिस्थितियों तथा कथित आरोपों का ब्यौरा दर्शाने वाली रिर्पोट बोर्ड को पहली सुनवाई से पहले भेजेंगे।

(12) राज्य सरकार केवल उन्हीं स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता प्रदान करेगा, जो परिवीक्षा सेवाएं, परामर्श, मामला कार्य, सुरक्षित स्थान जैसी सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई के किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी के साथ सहयुक्त हो तथा जिनके पास संरक्षक अभिकरणों के रूप में वे क्षमताएं, सुविधाएं, विशेषज्ञता हो, जिनके द्वारा वे किशोर को पड़ने जाने के समय, किशोर की सामाजिक पृष्ठभूमि एवं कथित अपराध के साथ–साथ जिन परिस्थितियों में किशोर को पकड़ा गया, उन परिस्थितियों की रिर्पोट तैयार करने में पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी की सहायता कर सकें, बोर्ड के समक्ष किशोर को प्रस्तुत किए जाने तक उसकी देखरेख कर सकें और उस किशोर को चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में पुलिस की सहायता कर सकें।

(13) पकड़े गए किशोरों तथा जितनी अवधि तक उन्हें पुलिस या प्रभारी किशोर अथवा बाल कल्याण अधिकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन की देखरेख में रखा गया, उस अवधि के दौरान उन किशोरों को सुरक्षा तथा भोजन एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व उनका होगा।

(14) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष किशोर को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की अगली बैठक में कराने की आवश्यकता होगी।

12. आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या इन नियमों के नियम 19 में निर्दिष्ट समिति ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर करेंगे।

(2) यथास्थिति, न्यायालय या बोर्ड या समिति प्रथम दृष्टया किशोर या बालक होने का विनिश्चय यथास्थिति, बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की शारीरिक बनावट अथवा दस्तावेज़ों, यदि उपलब्ध हों, के आधार पर करेगी और तदनुसार उसे संप्रेक्षण गृह या जेल भेजेगी।

(3) बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में यथास्थिति विद्यालय या बोर्ड या समिति आयु निर्धारण जांच करने के लिए निम्नलिखित द्वारा साक्ष्य प्राप्त करेंगे –

(क) (1) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके न होने पर;

(2) जहां पहली बार गया (प्ले स्कूल छोड़कर), उस स्कूल से जन्म प्रमाण–पत्र और उसके उपलब्ध न होने पर;

(3) नगर निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र; और

(ख) और उपर्युक्त खण्ड (क) के (1), (2) अथवा (3) की अनुपलब्धता में ही सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड, जो किशोर अथवा बालक की आयु का निर्धारण करेगा, की राय ली जाएगी। यदि आयु का बिल्कुल सही निर्धारण न किया जा सकता हो, तो न्यायालय अथवा बोर्ड या यथास्थिति समिति कारणों का अभिलेख करते हुए यदि आवश्यक समझे तो बच्चे अथवा किशोर को एक वर्ष कम आयु का लाभ दे सकती है।

और ऐसे किसी मामले में यथास्थिति ऐसे साक्ष्य अथवा चिकित्सा बोर्ड के अनुमान को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित करते समय बोर्ड या न्यायालय या समिति किशोर या बालक की आयु के संबंध में निष्कर्ष तथा उपर्युक्त खण्ड (क) के उपखण्ड (1), (2), (3) में विनिर्दिष्ट साक्ष्य अथवा इन तीनों की अनुपस्थिति में खण्ड (ख) में दर्शाए गए चिकित्सा बोर्ड के आयु संबंधी अनुमान को ऐसे बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु के संबंध में निर्णायक साक्ष्य के रूप में दर्ज करेंगे।

13. प्रस्तुत करने के पश्चात् बोर्ड द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियां

(2) बोर्ड निष्पक्ष एवं त्वरित सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् –

(क) जांच कार्य आरंभ करते समय, बोर्ड यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के साथ पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता या परिवीक्षा अधिकारी भी है; दुर्व्यवहार नहीं किया गया है और ऐसा कोई दुर्व्यवहार किया गया हो तो बोर्ड सुधारात्मक उपाय करेगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में कार्यवाहियां यथासंभव साधारण ढंग से की जाएगी तथा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस किशोर के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, उसे कार्यवाही के दौरान बाल अनुकूल वातावरण मिले;

(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक किशोर को उसे सुने जाने का अवसर दिया जाएगा और वह जांच में शामिल होगा;

(घ) छोटे–मोटे अपराधों के मामलों का निपटान यदि विशेष किशोर न्याय पुलिस इकाई अथवा पुलिस थाने में ही न किया जा सका हो, तो उन मामलों को बोर्ड संक्षिप्त कार्यवाही अथवा जांच के माध्यम से निपटाएगा, जबकि गम्भीर अपराधों के जिन मामलों में 7 वर्ष या इससे अधिक अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता हो, उन मामलों में विस्तृत जांच प्रक्रिया चलाई जा सकेगी;

(ड़) गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की जांच में भी बोर्ड सुनवाई की वही प्रक्रिया अपनाएगा, जो समन वाले मामलों के विचारण में अपनाई जाती है।

(4) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बोर्ड किशोर से बाल अनुकूल रीति में सवाल–जवाब करेगा ताकि वह सहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में एवं प्रभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के विषय में तथ्यों एंव परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।

(5) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बोर्ड उस किशोर के पकड़े जाने की परिस्थितियां एवं उसके कथित अपराध का ब्यौरा दर्शाने वाली पुलिस की रिपोर्ट तथा बोर्ड के प्रपत्र–प्प् में जारी आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्रपत्र प्ट में प्रस्तुत की गई सामाजिक अन्यवेषण रिपोर्ट और विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार कर सकेगा।

18. अधिनियम, धारा 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन अभिकथित उपबंधों के उल्लंघन की दशा मेंः

(क) बोर्ड द्वारा प्रिंट अथवा इलेक्ट्रानिक प्रचार–माध्यमों द्वारा ऐसे उल्लंघन का संज्ञान लिया जाएगा और अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) में उल्लेखित उपबंधों के अनुसार आवश्यक जांच शुरू की जाएगी तथा उपयुक्त आदेश पारित किए जाएंगे; और

(ख) जहाँ राष्ट्रीय अथवा राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिनियम की धारा 21 के अधीन उल्लंघन का स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया है, वहां आयोग संबंधित ज़िले या राज्य के ज़िला अथवा राज्य बालक संरक्षण इकाई को यह निर्देश देते हुए सूचित करेगा कि बोर्ड के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के भाग जाने की दशा में 24 घंटे के भीतर निम्नलिखित कार्यवाई की जाएगीः

(क) संस्था के प्रभारी अधिकारी उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन या विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई को किशोर अथवा बालक के विवरण सहित एक रिपोर्ट तत्काल भेजेगा, जिसके साथ उसका पहचान चिन्ह और फोटो भेजा जाएगा और रिपोर्ट की एक–एक प्रति बोर्ड, ज़िला बालक संरक्षण इकाई और अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भेजी जाएगी;

(ख) आश्रृय गृहों अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी गार्डों को अथवा संबंधित कर्मचारियों को किशोरों की तलाश में ऐसे स्थानों, जैसे रेल्वे स्टेशनों, बस अड्डों तथा अन्य स्थानों पर भेजेगा, जहां उसके जाने की संभावना हो सकती है;

(ग) माता–पिता अथवा संरक्षकों को बच्चे के ऐसे भाग जाने के बारे में तत्काल सूचित किया जाएगा; और

(घ) आश्रृय गृह अथवा ड्रॉपइन सेंटरों से भिन्न संस्था का प्रभारी अधिकारी बच्चों के भाग जाने के मामले की जांच करेगा और बोर्ड अथवा समिति और संबंधित प्राधिकारियों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा और यह रिपोर्ट इन नियमों के नियम 55 के अधीन गठित प्रबंधन समिति की आगामी बैठक में पुनर्विलोकन के लिए रखी जाएगी।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर अथवा बालक के खिलाफ अपराध, जो धारा 23, धारा 24, धारा 25 और धारा 26 में निर्दिष्ट हैं, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन संज्ञेय होने के साथ–साथ या तो ज़मानती या गैर–ज़मानती होंगे और ये कार्यविधियां तदनुसार पुलिस, बोर्ड तथा संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों पर लागू होंगी।

विविध

84. **विशेष किशोर पुलिस इकाई –** (1) राज्य सरकार, इन नियमों की अधिसूचना के चार मास के भीतर जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई नियुक्त करेगी और इकाई में पुलिस निरीक्षक स्तर का किशोर या बालक कल्याण अधिकारी तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दो वैतानिक सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से एक महिला होगी।

(2) जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार, विशेष किशोर पुलिस इकाई को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अपने दो सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवा उपलब्ध कराएगी।

(3) पुलिस स्टेशन में, किशोर या बालक कल्याण अधिकारी, अधिनियम के उपबंधो के संबंध में किशोरों या बालकों के मामलों को संभालने में योग्य और उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित तथा अभिरुचि वाला व्यक्ति होगा।

(4) नामनिर्दिष्ट किशोर या बालक कल्याण अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती अन्य पुलिस स्टेशनों या जिला इकाइयों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के भीतर तब तक की जाएगी जब तक प्रोन्नति का कोई अपवादिक मामला न हो और ऐसे मामलों में, अन्य पुलिस अधिकारियों को इकाई में नामनिर्दिष्ट और तैनात किया जाना चाहिए, ताकि कर्मचारियों की कोई कमी न रहे।

(5) ज़िला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई ज़िला स्तर पर बालकों या किशोरों के प्रति सभी प्रकार की क्रूरता, उत्पीड़न तथा शोषण से विधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए रखवाले के रूप में समन्वय और कार्य करेगी।

(6) इकाई, बालकों के विरुद्ध अपराधों के वयस्क अपराधकर्ताओं का संज्ञान गंभीरता से लेगी तथा यह देखेगी कि उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाय तथा विधि के उपयुक्त उपबंधो के अधीन मामला दर्ज किया जाए और इस प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय इकाई पुलिस स्टेशन की अन्य इकाइयों से संपर्क बनाए रखेगी।

(7) विशेष किशोर पुलिस इकाई विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों की पहचान करने के साथ–साथ बालकों के विरुद्ध हिंसा, बालक की उपेक्षा और बालक शोषण के मामलों की रिर्पोट करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, पंचायतों तथा ग्रामों सभाओं, निवासी कल्याण संगमों की सहायता लेगी।

(8) विशेष किशोर पुलिस इकाई इन नियमों के नियम 11(12) के अनुसार गिरफ्तारी के समय आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने में, बोर्ड के समक्ष किशोर को पेश करने तक किशोर को प्रभार में लेने के लिए तथा उसे बोर्ड के समक्ष पेश करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन की सहायता करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संरक्षण अभिकरण के रूप में विशेषकर मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से सहायता लेगी।

(9) किसी ज़िले में पुलिस अधीक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई का प्रधान होगा तथा समय–समय पर इसके कामकाज का विलोकन करेगा।

(10) अधिनियम के अधीन बालकों या किशोरों की देखभाल और संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर समन्वय तथा पुलिस की भूमिका में बढ़ोतरी करने के लिए प्रत्येक राज्य में, पुलिस से एक नोडल अधिकारी, जो पुलिस महानिदेशक स्तर से कम का न हो, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(11) यदि कोई पुलिस अधिकारी, जांच के बाद बालक को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अपराध के लिए मुकदमा चलाने के अतिरिक्त सेवा से हटा दिया जाएगा।

87. परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर के कत्वर्य –(1) प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर, बोर्ड या समिति अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा और निम्नलिखित कर्त्वयों, कार्यो और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगाः

(क) व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा परिवार, सामाजिक अभिकरणों और अन्य स्रोतों के माध्यम से किशोर (प्रपत्र–प्ट) अथवा बालक प्रपत्र–ग्प्प्) का सामाजिक अन्वेषण करना।

(ख) बोर्ड या समिति की कार्यवाही में उपस्थित रहेगा और जब कभी उपेक्षित हो, रिर्पोट प्रस्तुत करना।

(ग) किशोरों या बालकों की समस्याओं को स्पष्ट करेगा तथा संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों को हल करना।

(घ) अभिविन्यास, मानीटरिंग, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना।

(ड़) किशोर या बालक तथा प्रभारी अधिकारी के बीच सहयोग और सद्भावना स्थापित करना।

(च) किशोर या बालक के परिवार के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता करना तथा परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना।

(छ) किशोर या बालक के साथ विचार–विमार्श करके प्रत्येक बालक के लिए देखरेख योजना तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन की कार्यवाही करना।

(ज) मुक्ति–पूर्व कार्यक्रम में भाग लेना तथा किशोर या बालक की सम्पर्क स्थापित करने में सहायता करना, जो उनको मुक्त करने के पश्चात् भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं।

(झ) किशोरों के पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण को सुकर बनाने तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों से संपर्क स्थापित करना।

(ञ) किशोरों की मुक्ति के पश्चात् अनुवर्ती कार्यवाही तथा उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना।

(ट) उनके पर्यवेक्षणाधीन किशोरों या बालकों के आवास तथा रोजगार के स्थान या ऐसे विद्यालय का, जिसमें किशोर या बालक पढ़े हैं, नियमित दौरा करना और प्रपत्र–ग्ग्प में यथाविहित पाक्षिक रिर्पोट पेश करना।

(ठ) जहां कहीं संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से यथास्थिति प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह अथवा उपयुक्त व्यक्ति तक, किशोर या बालकों के साथ जाना; और

(ड) केस फाइल और ऐसे रजिस्टरों का रखरखाव, जो समय–समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

89. प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी अथवा केस–वर्कर, गृह पिता अथवा गृह माता तथा देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों और कर्मचारिवृंद की निरर्हताएं – (1) प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या केस–वर्कर, गृह पिता या गृह माता और देखभाल करने वाले अन्य कर्मचारिवृंद अपने पर्यवेक्षण या स्वंय के प्रयोजनों के लिए देखरेख और संरक्षण या उनसे कोई निजी सेवा के लिए किसी किशोर या बालक का नियोजन नहीं करेंगे।

(2) किसी देखक्षाल करने वाले के द्वारा किसी संस्था में या संस्था से बाहर किसी किशोर या बालक के शारीरिक यौन या भावनात्मक शोषण संबंधी कोई रिपोर्ट सम्यक जांच के पश्चात् निरर्हता का पात्र बनाएगी।

सहयोगः रूपये 30

प्रकाशक

मुस्कान

एल.आई.जी. 174, हर्षवर्धन नगर,
माता मन्दिर, भोपाल – 462 010
फोनः 0755 255 9949

www.muskaan.org/muskaan.office@gmail.com

मध्य प्रदेश महिला मंच

12, क्षिप्रा कॉम्पलेक्स चक्की चौराहा
भोपाल – 462 003
email – mpmahilamanch@gmail.com

मुद्रकः आदर्श प्रायवेट लिमिटेड, भोपाल फोनः 0755 255 5442